निर्णय ब–इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 30 / 2022 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये पूजा शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

साबीर खान, निवासी भट्टा बस्ती, कब्रिस्तान के सामने, शास्त्री नगर, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 20.300 किलोग्राम, 01 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं 01 तौल मशीन इलेक्ट्रोनिक कांटा को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री गौरव गुप्ता अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 08.09.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस सिलण्डरों से अवैध रूप से रिफलिंग की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ दिनांक 21.10.2022 को कब्रिस्तान की बाउन्ड्री के सामने, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर पर स्थित दुकान की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर एक घरेलू सिलेण्डर इलेक्ट्रिक मोटर से निकली हुई पाईप जिसके अन्तिम छोर पर एक निब लगी हुई पाई गई, जिसका वाहनों गैस भरने के काम आना उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया। परिसर की तलाशी करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. पाये गये। इस प्रकार मौके पर परिसर में कुल तीन घरेलू गैस सिलेण्डर्स 01 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं 01 तौल मशीन इलेक्ट्रोनिक कांटा पाया गया। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर, एल.पी. जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर्स की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक एव जनहित की वस्तु होने से धारा–6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 31.10. 2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री गौरव गुप्ता ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी दिनांक पर अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित नहीं आयें। अतः पत्रावली में बहस पैराकार रसद सुनी गई।
3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि कब्रिस्तान की बाउन्ड्री के सामने, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर पर स्थित दुकान की जांच श्री साबिर खान की उपस्थिति में की गई। परिसर की जांच करने पर एक घरेलू सिलेण्डर इलेक्ट्रिक मोटर से निकली हुई पाईप जिसके अन्तिम छोर पर एक निब लगी हुई पाई गई। जिसका वाहनों गैस भरने के काम आना उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया। परिसर की तलाशी

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. पाये गये। अप्रार्थी द्वारा विद्युत मोटर की सहायता से एल.पी.जी. को वाहनो में अवैध रूप से भरने का कार्य किया जाता है। मौके पर मैसर्स शिव गैस सर्विस के प्रतिनिधि श्री नेमीचन्द को बुलाकर घरेलू गैस सिलेण्डर्स का तौल करवाया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डर्स मे कुल 20.300 किलोग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के क्रय, विक्रय, भण्डारण, वाहनो में गैस भरने के न तो कोई वैद्य दस्तावेज पेश किये गये और न ही अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

4. विभागीय पैराकार रसद को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती का भंलीभांती अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

5. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गयें। दौराने जांच मौके 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 20.300 किलोग्राम, 01 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं 01 तौल मशीन इलेक्ट्रोनिक कांटा पाये गये। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा उक्त धरेलू गैस सिलेण्डर्स से अवैध रूप से वाहनो में एल.पी.जी. स्थानान्तरित कर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एल.पी.जी. को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 20.300 किलोग्राम, 01 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय पाईप एवं 01 तौल मशीन इलेक्ट्रोनिक कांटा को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है।

7. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 31.10.2022 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष जमा कराना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner